

महत्वपूर्ण एवं खास

तेज रफ्तार कार पुल से नीचे गिरी, नाबालिग की मौत

दंतेवाड़ा-रायपुर (आरएनएस) जिले में एक तेज रफ्तार कार पुल के नीचे गिर गई। हादसे में एक नाबालिग की मौत हो गई। जबकि 5 नाबालिग घायल हैं। इनमें से एक की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। जिसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि, अब पुलिस नाबालिग को गाड़ी चलाने देने वाले पिता पर भी एफआईआर दर्ज कर रही है। मामला गीदम थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, गीदम का रहने वाला रुद्र झा (15) अपने 5 नाबालिग दोस्तों के साथ गीदम से बारसूर की ओर घूमने गया था। वाहन में कुल 6 नाबालिग लड़के थे। गाड़ी चलाने वाला भी नाबालिग था। बारसूर जाते समय कार हिरानार में एक पुल के नीचे जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार रुद्र की मौत पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद जवान मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को अस्पताल लाया गया। इनमें 1 की हालत गंभीर है। जिसे जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं, अन्य घायलों का दंतेवाड़ा में ही इलाज जारी है। इस मामले को लेकर गीदम थाना प्रभारी विजय पटेल ने कहा कि, सड़क हादसे में एक की मौत हुई है। जो गाड़ी चला रहा था वो भी नाबालिग है। गाड़ी उसके पिता राजूयाम पोयम के नाम से रजिस्टर है। नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाने देना जुर्म है।

चाकू से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस) राजधानी के रावांभाठा में दो युवकों का रास्ता रोककर चाकू मारकर घायल करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार वीरन्द्र विश्वकर्मा द्वारा लिखित शिकायत पर देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 07.04.2025 को प्रार्थी अपनी स्कूटी वाहन से अपने दोस्त कृष्णा भारती के साथ अपने घर जा रहा था। इसी दौरान रात करीब 10 खोल मैदान के पास रावांभाठा में आरोपी विनय कोसले ने उसका रास्ता रोककर अश्लील गाली गलौच कर अपने पास रखे चाकू से प्रार्थी एवं बीच बचाव करने पर कृष्णा भारती को चाकू से मारकर चोट पहुंचाया। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी विनय कोसले के विरुद्ध धारा-296,115 (2), 126 (1) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी विनय कोसले निवासी बुधवारी बाजार, बजरंग चौक रावांभाठा थाना खमतराई को पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसने प्रार्थी एवं उसके दोस्त के साथ मारपीट कर चाकू से चोट पहुंचाना स्वीकार किया। जिसके बाद आरोपी के कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू जप्त कर धारा 25,27 अपराध एक्ट जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

घरेलू सामान चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार

बिलासपुर (आरएनएस) बिलासपुर की थाना सिविल लाईन्स पुलिस ने एक सून मकान में घुसकर घरेलू सामान चोरी करने वाला चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक नग घरेलू गैस सिलेंडर, चावल 12 किग्रा तथा तीन नग प्लास्टिक कुर्सी जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी मीना सिंह ठाकुर निवासी मिनीबस्ती जराभाठा के द्वारा थाना सिविल लाईन्स में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 4 अप्रैल से 8 अप्रैल के दरमियान जब वह घर नहीं थी इस दौरान वहीं के रहने वाले राहुल सिंह के द्वारा घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर से एक नग घरेलू गैस सिलेंडर, 01 नग सिलिंग पंखा, 02 नग प्लास्टिक कुर्सी तथा 150 किग्रा. चावल को चोरी किया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस ने आरोपी राहुल सिंह को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का सामान 01 घरेलू गैस सिलेंडर, 02 नग प्लास्टिक कुर्सी, 12 किग्रा. चावल को आरोपी के घर से बरामद किया गया। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 331(4), 305 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में पेश किया गया।

विदेशों में स्थानीय उत्पादों के निर्यात की व्यापक संभावनाएं- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल

कलेक्टर गोयल ने शासन की नीतियों का लाभ लेकर स्थानीय उत्पादों के निर्यात की दिशा में काम करने पर दिया जोर उद्योग विभाग ने आयोजित की औद्योगिक विकास नीति 2024-30, टैमप योजना एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सफल क्रियान्वयन पर कार्यशाला विषय विशेषज्ञों ने दी कई महत्वपूर्ण जानकारी

सुशासन तिहार 2025-मांग, शिकायत एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन लेकर समाधान पेटी तक पहुंच रहे जनसामान्य

शासन के सुशासन तिहार की पहल को लोगों ने सराहा 11 अप्रैल तक जनसामान्य से लिए जायेंगे आवेदन



रायगढ़ सुशासन तिहार 2025 के तहत आवेदन लेने की प्रक्रिया के दूसरे दिन आज रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के जन सामान्य आवेदन प्राप्त करने लगाए शिविर के समाधान पेटी तक पहुंचे एवं अपनी मांग एवं समस्याओं के संबंध में आवेदन किया। आज दूसरे दिन कुल 300 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें मांग के 288

एवं शिकायत के 10 आवेदन शामिल थे। जनसामान्य ने शासन की इस पहल को सराहा की और कहा कि लोग अपनी मांग एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन आसानी से कर पा रहे हैं। मकान टैक्स जमा करने निगम कार्यालय पहुंचे बोर्डेदार निवासी जीपी मिश्रा ने कहा कि सुशासन तिहार शासन की अच्छी पहल है। उन्होंने टैक्स जमा

करने पश्चात निगम में लगे शिविर स्थल पहुंचकर समाधान पेटी में नाली निर्माण से संबंधित आवेदन किया। इसी इसी प्रकार बोर्डेदार विनोबा नगर निवासी रमाकांत यादव सुशासन तिहार में राशन कार्ड बनवाने संबंधी आवेदन करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि यहां आवेदन करने की प्रक्रिया काफी सरल है। अमलीभांन निवासी रत्ना बाई सिदार एवं ट्रांसपोर्ट

पर शिविर- सुशासन तिहार के तहत रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के सभी 48 वार्डों के लिए नागरिकों से आवेदन प्राप्त करने नगर निगम कार्यालय सहित 09 स्थानों पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जहां संबंधित वार्डों के नागरिक मांग, शिकायत एवं विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन कर सकते हैं। शिविर के लिए प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो आवेदन प्राप्त करने के साथ ही संबंधित विभागों को आवेदनों के निराकरण के लिए प्रेषित करेंगे। प्रथम चरण में 11 अप्रैल तक लिए जायेंगे आवेदन- सुशासन तिहार के तहत प्रथम चरण में 11 अप्रैल तक आवेदन लिया जाएगा। इसमें कार्यालय नगर निगम में 1 से 48 वार्डों के जनसामान्य से आवेदन लिया जा रहा है। इसी तरह राजीव नगर सामुदायिक भवन में वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 4, 39 एवं 40, केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड मंगल भवन में वार्ड क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एवं 20, गौशालापारा सामुदायिक भवन में वार्ड क्रमांक 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 46, रायगढ़ स्टेडियम में वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24, 47 एवं 48, निगम ऑडिटोरियम पंजरी प्लांट में वार्ड क्रमांक 25, 26, 27, 28 एवं 29, कबीर चौक मंगल भवन में वार्ड क्रमांक 30, 31, 32, 33, 34, 35 एवं 41, सोनुमुड़ा, सामुदायिक भवन में वार्ड क्रमांक 36, 37, 38 एवं 42, आशा द होप पतरापाली सामुदायिक भवन में वार्ड क्रमांक 43, 44, 45 के नागरिक आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में चयनित हितग्राहियों का कराएं स्वास्थ्य परीक्षण- कलेक्टर

17 से 20 अप्रैल तक मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि एवं वृंदावन का कराया जाएगा तीर्थ यात्रा योजना से संबंधित सभी तैयारियां जल्द पूर्ण करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

रायगढ़ उपसंचालक समाज कल्याण शिव शंकर पाण्डेय ने बताया कि योजना के तहत पूर्व में वरिष्ठ नागरिक तथा दिव्यांगजन शामिल थे लेकिन वर्तमान में इसमें योजना में विधवा एवं परित्यक्त महिला को भी शामिल किया गया है। उन्होंने जिला स्तरीय समिति के कार्य संपादन के संबंध में जानकारी दी कि समिति द्वारा चिह्नकित स्थानों एवं ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों से चयनित हितग्राहियों को जिला स्तर पर एकत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही समस्त हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण, उन्हें बोर्डिंग तक पहुंचने, एकत्रित करना, परिवहन हेतु बस की उचित व्यवस्था तथा अधिकृत अधिकारियों से संपर्क कर ट्रेन में चढ़ाने एवं यात्रा समाप्ति पश्चात यात्रियों को निवास स्थान तक ले जाने की व्यवस्था करना है। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, उन्हें अपने साथ एक

सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। जिसकी आयु 21 से 50 वर्ष की होगी। इसी प्रकार यदि दिव्यांग आवेदक पति-पत्नी से किसी एक का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकेगा। इसके लिए आवेदन करते समय ही आवेदक जीवनसाथी का आवेदन संलग्न करना होगा। चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र तथा 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र के होंगे। इसी प्रकार 80 प्रतिशत हितग्राही बीपीएल अंत्योदय एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्ड धारी होंगे एवं 20 प्रतिशत हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर के नागरिक होंगे जो आयकर दाता ना हों। उन्होंने बताया कि कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा, निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से यात्रियों को चयन किया जाएगा।

पोषण पखवाड़ा वेबिनार में शामिल हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और महिलाएं

सारंगढ़ बिलाईगढ़



भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के एकीकृत बाल विकास परियोजना लेन्धरा के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र से सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, बच्चे, स्थानीय महिलाएं लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर मंगलवार को पोषण पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ किया गया, जो 22 अप्रैल तक संचालित किया जाएगा।

इस दौरान स्वास्थ्य जांच, किशोरी बालिकाओं की साइकिल रैली के माध्यम से पोषण पखवाड़ा का प्रचार प्रसार किया गया। इसके साथ साथ सार्वजनिक स्थानों में पोषण जागरूकता, प्रदर्शनी, शपथ ग्रहण आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए।

विवाहिता आग से जली, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

भिलाई-रायपुर | आरएनएस

3 अप्रैल को एक महिला आग में जलकर घायल हो जाती है। गंभीर अवस्था में घायल महिला को परियोजना के तहत आग में जलने की सूचना परिजनों को अन्य रिश्तेदारों से 6 अप्रैल को मिली। महिला के ससुराल पक्ष से आग लगने की कोई सूचना नहीं दी गई। संदेह होने पर जग रिश्तेदार महिला के घर पहुंची तो उन्हें आग लगने और अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली। पुलिस के अनुसार महिला का बयान लिया गया है। वहीं महिला के पुत्र का कहना है कि उसके सामने ही उसके मां को आग लगाया गया है। बिहार से भिलाई पहुंचे परिजन आज 9 अप्रैल

बुधवार को छावनी थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से ससुराल पक्ष वालों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद परिजन वापस लौट गए। महिला के पिता अशोक साव पिता स्व. साधुशरण साव प्रभुस तेरवावा थाना मानपुर जिला नालन्दा बिहार में पुलिस को बताया कि मैं अपनी बेटी नीतु कुमारी की शादी संतोष साव पिता गोविंद साव निवासी कैम्प-1 शास्त्रीनगर भिलाई के साथ सन 2008 में कराई थी। जब से शादी हुई है तब से मेरी बेटी को ससुरालवालों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरी बेटी को आग के हवाले कर दिया गया और वो मेकाहारा हॉस्पिटल में मौत से जंग लड़ रही है। बेटी का इलाज मेकाहारा हॉस्पिटल में चल रहा है। बेटी द्वारा दिए गए बयान पर हमें संदेह है। वह बहुत डरी हुई है।

अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी को मुंगेली पुलिस ने 24 घण्टे के भीतर किया गिरफ्तार

मुंगेली | आरएनएस

आरोपी आदर्श सिंह के द्वारा पीडिता से स्नैपचेट बातचीत को परिजनों को भेजने की धमकी देकर डरा धमकाकर पीडिता का अश्लील वीडियो स्नैपचेट के माध्यम से स्क्रीन रिकार्ड कर वायरल करने वाले आरोपी को मुंगेली पुलिस द्वारा गिर. कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल दाखिला। प्रार्थी के द्वारा लिखित आवेदन पेश किया की दिनांक 15.3.2025 को मेरी भाभी के व्हाट्सएप नंबर पर उनकी नन्द के द्वारा मेरी लड़की का अश्लील स्नैपचेट वीडियो रिकार्डिंग भेजी थी जिसे देखने के बाद मेरी भाभी ने मुझे घर आकर बताई थी आपकी लड़की का स्नैपचेट

वीडियो रिकार्डिंग को कोई वायरल कर दिया है तब पीडिता से पुछने पर वीडियो के संबंध में तब पीडिता पुत्री ने मुझे बताया कि 8 मार्च 2023 से वह बेहरसरी निवासी आदर्श सिंह से स्नैपचेट एवं फोन पर बातचीत करती थी तब आदर्श सिंह के द्वारा पीडिता को स्नैपचेट में बोला कि कपड़ा उतार कर मुझे वीडियो काल करो नहीं करोगी तो स्नैपचेट की बातचीत को तुम्हारे घर वालों को वायरल कर दूंगा बोलकर धमकी देने लगा तब माह अप्रैल/मई माह में पीडिता डरकर स्नैपचेट में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपना आपत्तिजनक वीडियो दिखाई थी जिसे वह अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड कर सेव कर लिया था और बातचीत

करते समय पीडिता को शारीरिक संबंध बनाने का भी मांग किया था लेकिन पीडिता द्वारा मना कर दिया गया तो आदर्श सिंह द्वारा पीडिता को अश्लील गाली गलौच भी किया जाता था तो वह डर से घर में किसी को नहीं बताई थी करीब 2 वर्षों से बातचीत बंद होना बताई है जिसके कारण आदर्श सिंह के द्वारा अब वर्तमान में अपने मोबाइल में पूर्व में सेव किये पीडिता का स्नैपचेट वीडियो कॉलिंग आपत्तिजनक वीडियो को हमारे परिजनों ने दोस्तों को वायरल कर दिया है कि रिपोर्ट पर आदर्श सिंह के विरुद्ध दिनांक 07.04.2025 को अपराध धारा 294,506,354 (क) (1) (द्व) 12 पोक्सो एक्ट एवं 67-बी आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर करते समय पीडिता को शारीरिक संबंध बनाने का भी मांग किया था लेकिन पीडिता द्वारा मना कर दिया गया तो आदर्श सिंह के द्वारा पीडिता को अश्लील गाली गलौच भी किया जाता था तो वह डर से घर में किसी को नहीं बताई थी करीब 2 वर्षों से बातचीत बंद होना बताई है जिसके कारण आदर्श सिंह के द्वारा अब वर्तमान में अपने मोबाइल में पूर्व में सेव किये पीडिता का स्नैपचेट वीडियो कॉलिंग आपत्तिजनक वीडियो को हमारे परिजनों ने दोस्तों को वायरल कर दिया है कि रिपोर्ट पर आदर्श सिंह के विरुद्ध दिनांक 07.04.2025 को अपराध धारा 294,506,354 (क) (1) (द्व) 12 पोक्सो एक्ट एवं 67-बी आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया मुंगेली पुलिस अधीक्षक, भोजपुर पटेल (दृढवक्त्र) के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये परिपालन मे अति. पुलिस अधीक्षक मुंगेली सुशी नरनत को कोर छाबड़ा, अतिविभागीय पुलिस अधिकारी मुंगेली मयंक तिवारी के मार्ग दर्शन पर विवेचना के दौरान प्रार्थी, पीडिता एवं गवाहों का कथन लेख कर आरोपी का लगातार पता तलाश किया गया, साथबर सेल से तकनीकी माध्यम से आरोपी आदर्श सिंह को हिरासत में लिया गया आरोपी से पूछताछ करने पर घटना को स्वीकार करने पर आरोपी द्वारा उपयोग में लाया गया मोबाइल को विधिवत जप्त किया गया।

गजानंद ऐप से ऑनलाईन सट्टा चलाते तीन गिरफ्तार

रायपुर | आरएनएस

पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रंज रायपुर अमरेश मिश्रा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेश सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को जुआ एवं सट्टा पर पूर्णरूपेण अंकुश लगाने हेतु जुआ, सट्टा एवं ऑन लाईन सट्टा संचालित करने वालों की पतासाजी कर उन पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में दिनांक 02.04.25 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तिलदा नेवरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना तिलदा नेवरा क्षेत्रांतर्गत वार्ड नं. 06 स्थित एक मकान में गजानंद ऐप से ऑन-लाईन सट्टा संचालित करते आरोपी हर्ष पंजवानी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 04 नग मोबाइल फोन तथा नगदी रकम

जुमला कीमती लगभग 60,000/- रुपये तथा विभिन्न कम्पनी के चेकबुक, पासबुक एवं ए.टी.एम. कार्ड एवं सट्टा के पैसों का हिसाब-किताब जप्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना तिलदा नेवरा अपराध क्रमांक 125/25 धारा 4(क) जुआ एक्ट एवं छोग10 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही किया गया है। इसी क्रम में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ एवं विवेचना के दौरान एक का आईडी लेकर ऑनलाईन सट्टा संचालित करने वालों के संबंध में पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान उक्त एप का लाईन लेकर ऑनलाईन सट्टा संचालित करने वाले तिलदा निवासी खूबी राम पटेल एवं सोनू सेन को भी पकड़ा गया। टीाटे के सदस्यों द्वारा दोनो के मोबाइल फोन को चेक करने पर उनके द्वारा उक्त एप के माध्यम से ऑनलाईन सट्टा संचालित करना पाये जाने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 नग

मोबाइल फोन जुमला कीमती लगभग 60,000/- रुपये जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना तिलदा नेवरा में अपराध क्रमांक 125/25 धारा 4(क) जुआ एक्ट एवं छोग10 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 के तहत कार्यवाही किया गया है। साथ ही ऑनलाईन सट्टे के संचालन हेतु पैसों के लेन-देन के लिये उपयोग किये जाने वाले 228 बैंक खातों को फ्रीज कराया गया है। गिरफ्तार आरोपी- 01. खूबीराम पटेल पिता भूपतराम पटेल उम्र 27 वर्ष पता ग्राम सासाहोली वार्ड नं 2 थाना तिलदा नेवरा जिला रायपुर। 02. सोनू उर्फ शिवा सेन पिता प्रकाश सेन उम्र 30 वर्ष पता सासाहोली वार्ड 1 थाना तिलदा नेवरा जिला रायपुर। 03. शैलेन्द्र सिंह उर्फ सोनू पिता स्व. वीरेंद्र सिंह उम्र 28 वर्ष पता कर्मचारी कॉलोनी वार्ड नं. 7 थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

अधिकार से न्याय तक

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीडितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पूर्ण हेतु नं 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं सीनियर एडवोकेट श्री तारामणी श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गौरीगंज बोर्ड के सदस्यों कृपे श्री.वी.वर्मा, श्रीमती केशवा श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकेश एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार इन सभी संबंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय संबंधी कर्तव्य एवं लैबर वेल्फेयर, गरीब, परिवारिक, विधवाओं के अत्याय के लिए कार्य किया जायेगा।

आवश्यकता
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ शासनात्मक एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के संबंध में प्रचार-प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उन्में संघ के द्वारा अधीनस्थ निकायों को जायेगी। प्रत्येक ब्लॉक इस संघ में सदस्य बन सकाव है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म भर के प्रदान कर्नात्यय में उपलब्ध है।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
प्रार्थित एवं पीडित व्यक्ति को समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीडित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीडित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिन्याय एवं सौजन्य के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

मुख्य बिन्दु
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीडित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीडित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत अधिकृत सहायता को व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीडित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
● संघ पूर्वावकाश संरक्षण एवं पूर्वावकाश सम्बन्धी वेतना हेतु भी आवश्यकता होने का प्रस्ताव करेगा।
● पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, अधीनस्थों के अधिकार, अनुसूचित जाति-अनुसूचितों के अधिकारों के सम्बन्ध में विधि एवं सैमीनारिक शिबिर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीडित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सतत किया जायेगा।
● न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
● संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्तियों को परेशानी से पहुँचाना संभव है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीडित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
● संघ द्वारा सैमीनारिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विस्तृत कार्यक्रम किए जायेगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी तंत्रिकाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
● संघ सामाजिक कृतिवियों को दूर करने के लिए करतबान कर अत्यायन भी करेगा। संघ के मूल विस्तरे पर सक्षम विद्युत्तियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीडित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU